रजिस्ट्री सं० डी०(डी)-73 REGISTERED NO. D. (D.)-73

17

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 21, 1978/माघ 1, 1899
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 21, 1978/MAGHA 1, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1978

का० नि० आ० 23.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, महानिदेशालय नेशनल केडिट कोर (वर्ग 1 राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1968 को अधिक्रान्त करते हुए, महानिदेशालय, नेशनल केडिट कोर, रक्षा मंत्रालय में कार्मिक निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, महानिदेशालय, नेशनल केडिट कोर (कार्मिक निदेशक) भर्ती नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
कार्मिक निदेशक	1	रक्षा सेवाएं (सिविलियन) समूह 'क', राजपत्रित	1500-60-1800	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सेवा समूह 'क' के अधिकारी, जिन्होंने 7 वर्ष तक नियमित सेवा की हो या सदृश पद धारण करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारी या 1100-1600 रु० के वेतनमान या समतुल्य में के पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी जिन्हें प्रशासन, लेखा और स्थापन कार्य का अनुभव हो (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता	जब तक भर्ती नियमों के उपबंधों को किसी समय शिथिल करने का आशय न हो, संघ लोक सेवा से परामर्श आवश्यक नहीं होगा ।

[फा० सं० 80914/77/सीएओ (पी-1)]

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 2nd January, 1978

S.R.O. 21.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Directorate-General, National Cadet Corps (Class I Gazetted post) Recruitment Rules, 1968, except as respects things done or omitted to be done, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director of Personnel in the Directorate General, National Cadet Corps, Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Directorate General, National Cadet Corps (Director of Personnel) Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay :—The number of the said posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications :—The method of recruitment to the said post and the age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Director of Personnel	1	Defence Services (Civilian) Group 'A' Gazetted.	Rs. 1500-60-1800	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Transfer on deputation : Officers belonging to all India Services or Central Services Group 'A' with 7 years' regular service or officers under the Central Government holding analogous posts or with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 1100-1600 or equivalent and having experience of administration, accounts and establishment work. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 4 years).	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary, unless it is intended to relax, at any time, the provisions of the recruitment rules.

[File No. 80914/77/CAO (P-I)]

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1978

का० नि० आ० 24.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा (संशोधन) नियम, 1978 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1968 की तृतीय अनुसूची में, "सिविलियन स्टाफ आफिसर (समूह क)", पद के सामने "अस्थायी रिक्तियां," शीर्षक के नीचे, स्तम्भ 4 मे प्रविष्टि (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1 अगस्त, 1969 से पूर्व आशुलिपिक श्रेणी 1 (राजपत्रित या अराजपत्रित या दोनों) के रूप में और 1 अगस्त 1969 के पश्चात् आशुलिपिक श्रेणी ख के रूप की गई अनुमोदित सेवा की आधी ।"

[फा० सं० क/21357/सी० ए० ओ० (पी-1)]

ए० एस० जैन, सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

New Delhi, the 4th January, 1978

S.R.O. 23.—In exercise of the powers conferred by the proviso, to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Armed Forces Headquarters Civil Service Rules, 1968, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Armed Forces Headquarters Civil Service (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Third Schedule to the Armed Forces Headquarters Civil Service Rules, 1968, against the post of "Civilian Staff Officer (*Group A*)", under the heading "*Temporary vacancies*", for entry (ii) in column 4, the following shall be substituted, namely :—

"(ii) as Stenographer Grade I (Gazetted or non-Gazetted or both) prior to the 1st August, 1969 and half of the approved service rendered as Grade B Stenographer after the 1st August, 1969."

[F. No. A/21357/CAO(P-I)]

A. S. JAIN, Assistant Chief Administrative Officer

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1978

का० नि० आ० 25—समुद्री तोपखाना अभ्यास (संशोधन) अधिनियम 1973 (1973 का 3) के खण्ड 1 उप-खण्ड (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा वर्ष 1978 की इक्कीस जनवरी को उक्त अधिनियम के लागू होने की तारीख निश्चित करती है ।

New Delhi, the 9th January, 1978

S.R.O. 24.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Seaward Artillery Practice (Amendment) Act, 1973 (3 of 1973), the Central Government hereby appoints the 21st day of January, 1978, as the date on which the said Act shall come into force.

समुद्री तोपखाना अभ्यास नियम, 1978

का० नि० आ० 26.—केन्द्रीय सरकार, समुद्री तोपखाना अभ्यास अधिनियम, 1949 (1949 का 8) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विषय पर पिछले सभी नियमों को अधिक्रान्त करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार-सीमा और विनियोग.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समुद्री तोपखाना अभ्यास नियम, 1978 है ।

(2) ये नियम इक्कीस जनवरी, 1978 को प्रवृत्त होंगे ।

(3) इन नियमों का विस्तार उन सभी राज्यों पर होगा जिनमें समुद्रतट पड़ता है और ऐसे किसी जलयान को, जो भारत मे पंजीकृत है अथवा जो भारत में अधिवासी किसी व्यक्ति का है, भले ही वह चाहे कहीं भी क्यों न हो, और उस पर के व्यक्तियों को भी लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से समुद्री तोपखाना अभ्यास अधिनियम, 1949 (1949 का 8) अभिप्रेत है ;

(ख) "वायुयान" से कोई ऐसी मशीन अभिप्रेत है, जो, पृथ्वी की सतह के विरुद्ध वायु की प्रतिक्रिया से भिन्न वायु की प्रतिक्रिया से वायुमंडल में बल प्राप्त कर सकती है, और इसमें आबद्ध अथवा मुक्त गुब्बारे, एयरशिप, पतंग, ग्लाइडर और उड़ने वाली मशीनें सम्मिलित हैं ;

(ग) "खतरे का क्षेत्र" से ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खतरे का क्षेत्र घोषित किया गया है ;

(घ) "निष्कासन" से अभिप्रेत है—खतरे के क्षेत्र से व्यक्तियों, सम्पत्ति अथवा जलयानों का हटाना ;

(ङ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

3. धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के सार को प्रकाशित करने की रीति :—धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने के बाद, उसका सार उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में परिचालित किसी समाचार पत्र में और उस क्षेत्र में साधारणतया समझी जाने वाली भाषा में यथासंभव शीघ्र प्रकाशित करने के अलावा, निम्नलिखित में से एक या अधिक रीतियों से प्रकाशित किया जाएगा, अर्थात्—

(क) ऐसे सार की विषय-वस्तु को उस क्षेत्र के रिहाइशी भाग में ढोल पीटकर अथवा लाउडस्पीकरों के जरिए उद्घोषित करके ;

(ख) उस क्षेत्र के कुछ सहजदृश्य स्थानों पर प्रादेशिक भाषाओं में ऐसे सार की प्रतियां चिपका कर ;

(ग) जिस जिले में वह स्थान स्थित है उसका कलक्टर उस क्षेत्र के जिन गैर-सरकारी निकायों अथवा संगमों को इस सार की प्रतियां देना उचित समझे उन्हें, जहां संभव हो, उसकी प्रतियां दे कर ;

(घ) जिस जिले में वह स्थान स्थित है उसका कलक्टर जिस अन्य रीति को उचित समझे उस रीति से ।

4. संक्रियाओं के स्थान की सूचना :—(1) समुद्री तोपखाना अभ्यास में लगा नौसेना कमान अफसर, उस जिले के कलक्टर अथवा इस निमित उसके द्वारा प्रतिनियुक्त राजस्व अधिकारी को उस सही स्थान के बारे में कम से कम चौदह दिन पहले लिखित रूप में सूचित करेगा जहां तोपखाना अभ्यास किया जाना है और साथ ही साथ संबंधित निकटस्थ पत्तन प्राधिकारी को भी सूचित करेगा ताकि जिस तट के क्षेत्र में समुद्री तोपखाना अभ्यास किया जाना है उस तट की ओर जाने वाले पोतों, जलयानों और वायुयानों को आग्रह करने के लिए नाविकों को आवश्यक सूचना जारी की जा सके ।

(2) जिस इलाके में ऐसा अभ्यास किया जाना है वहां लाल झंडियों, निशान-बायों अथवा इसी तरह के प्रमुख चिह्नों का भी, जहां संभव हो, प्रदर्शन किया जाएगा ।

5. अधिसूचित क्षेत्र का निरीक्षण :—(1) जिले का कलक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्रतिनियुक्त राजस्व अधिकारी, ऊपर पैरा 4 में उल्लिखित सूचना प्राप्त होने पर अधिसूचित क्षेत्र के जमीन वाले भाग का तत्काल निरीक्षण करेगा ।

(2) इस निरीक्षण में जिले के कलक्टर अथवा उक्त राजस्व अधिकारी के साथ अधिसूचित क्षेत्र के दो नगर पार्षद अथवा पंच या निवासी और एक व्यक्ति, यदि उसे नौसेना प्राधिकारियों द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए तो, होगा और वह उस जमीन की स्थिति और उस पर उक्त संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए किए जाने वाले संभावित परिवर्तनों के बारे में अभिलेख तैयार करेगा ।

(3) जिले का कलक्टर या उक्त राजस्व अधिकारी, जहां तक संभव हो, उक्त जमीन के मालिक या अधिभोगी को बुलवाएगा और उनके अभ्यावेदनों का, यदि कोई हों, सारांश अभिलेख में सम्मिलित करेगा ।

6. खतरे से जनता को बचाने के लिए अधिसूचना के उपयोग का विनियमन :—(1) जिले का कलक्टर अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्रतिनियुक्त राजस्व अधिकारी अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों को कम से कम तीन दिन पहले प्रत्येक गांव में ढोल बजाकर और समुचित रीति से सूचना को प्रकाशित करके संक्रियाओं को प्रारम्भ करने का सही समय, वह सही स्थान जहां संक्रियाएं की जाएंगी और संक्रियाओं की अवधि की सूचना देगा और उन्हें आगाह करेगा कि वे—

(क) उचित प्राधिकार के बिना ऐसे किसी क्षेत्र में न जाएं और न वहां रहें ;

(ख) ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसे खतरे का क्षेत्र घोषित किया गया है उस समय जब प्रवेश निषिद्ध हो, उचित प्राधिकार के बिना न जाएं और न रहें ; और

(ग) समुद्री तोपखाना अभ्यास के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी झंडी या निशान या लक्ष्य या बाय या किसी साधित्र को उचित प्राधिकार के बिना न छेड़ें ।

(2) (क) जब धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत किसी क्षेत्र को खतरे का क्षेत्र घोषित किया जाए तब जिले का कलक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्रतिनियुक्त राजस्व अधिकारी खतरे के क्षेत्र के सभी ओर, जहां भी संभव हो, खतरा-सूचक प्रमाण चिह्न लगवा देगा, जिनमें उस क्षेत्र की भाषा में लिखित रूप में यह आगाह किया जाएगा कि जब घातक प्रक्षेपास्त्र छोड़े जा रहे हों और जान अथवा माल को खतरा हो उस समय वहां प्रवेश निषिद्ध रहेगा ।

(ख) जब घातक प्रक्षेपास्त्र छोड़े जा रहे हों या जान या माल को खतरा हो उस समय जिले का उक्त कलक्टर या राजस्व अधिकारी पास-पड़ौस के क्षेत्र से, जहां तक संभव हो, खतरे के क्षेत्र के चारों ओर, सन्तरी भी तैनात करेगा ।

(ग) नौसेना प्राधिकारी सन्तरियों को तैनात करने और उक्त सूचना-चिह्नों के प्रदर्शन के लिए जिले के उक्त कलक्टर या राजस्व अधिकारी द्वारा मांगी गई सहायता, यदि व्यवहार्य हो तो देंगे ।

(घ) जिले का उक्त कलक्टर या राजस्व अधिकारी उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति से यह अधिसूचित करेगा कि खतरे के क्षेत्र में प्रवेश निषिद्ध है और यह कि जब घातक प्रक्षेपास्त्र छोड़े जा रहे हों या जब जान या माल को खतरा हो तब ऐसे खतरे के क्षेत्र से सभी व्यक्तियों, सम्पत्ति, जलयानों और वायुयानों को, धारा 5 के उपबन्धों के अनुसार क्षतिपूर्ति का संदाय करने के बाद हटा दिया जाएगा ।

(ङ) जिले का कलक्टर या इस निमित्त उसके द्वारा प्रतिनियुक्त राजस्व प्राधिकारी, निष्कासन से पूर्व खतरे के क्षेत्र के मकानों, सरकारी भवनों तथा अन्य स्थानों को सीलबन्द करने की कार्यवाही करेगा और साथ ही उस क्षेत्र की ऐसी सम्पत्ति, जलयानों और वायुयानों को, जिन्हें वह उचित समझता है, उनके मालिक की उपस्थिति में और मालिक के न होने पर, उस क्षेत्र के दो नगर पार्षदों या पंचों या निवासियों तथा नौसेना प्राधिकारियों द्वारा यदि कोई व्यक्ति नामनिर्दिष्ट किया जाए तो उसकी उपस्थिति में, हटाने की कार्यवाही करेगा ।

7. समुद्री तोपखाना अभ्यास की समाप्ति की सूचना और क्षेत्रों का निरीक्षण :—नौसेना का कमान अफसर समुद्री तोपखाना अभ्यास की समाप्ति के तथ्य की सूचना जिले के कलक्टर या उसके द्वारा इस निमित प्रतिनियुक्त राजस्व अधिकारी को देगा जो उन दो नगर पार्षदों या पंचों या निवासियों तथा नौसेना प्राधिकारियों द्वारा यदि कोई व्यक्ति नामनिर्दिष्ट

किया जाए तो उस के साथ, जिनके साथ उसने नियम 5 के अन्तर्गत प्रथम निरीक्षण किया था, और यदि मृत्यु, बीमारी या किसी अन्य कारण से उन्हीं व्यक्तियों को साथ नहीं लिया जा सकता हो तो दो अन्य नगर पार्षदों या पंचों या निवासियों तथा नौसेना प्राधिकारियों द्वारा यदि कोई व्यक्ति नामनिर्दिष्ट किया जाए तो उसके साथ उस जमीन का निरीक्षण करेगा और अपने यह टिप्पण अभिलिखित करेगा कि ऐसी कितनी जमीन अपनी पिछली स्थिति में नहीं लाई गई है और कितनी जमीन को क्षति पहुंची है।

8. क्षति का निर्धारण :—(1) व्यक्ति को हुई क्षति का निर्धारण घायल व्यक्ति की आयु, प्रास्थिति, उसे हुई क्षति का स्वरूप और क्षति की अवधि, उसकी उपार्जन क्षमता, वह सीमा जिस तक उसकी उपार्जन क्षमता कम हुई है और वह अवधि जिस तक उसकी उपार्जन-क्षमता कम बनी रहने की संभावना है, तथा जांच के दौरान जानकारी में लाई गई घायल व्यक्ति तथा उसके आश्रितों की विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाएगा।

(2) सम्पत्ति को हुई क्षति का निर्धारण, सम्पत्ति का मौजूदा बाजार मूल्य, उस पर खड़ी फसलों या वृक्षों या भवनों या अन्य ढांचों को हटाने के कारण हुई हानि, समुद्री तोपखाना अभ्यास की अवधि में सम्पत्ति के उपयोग से वंचित किए जाने कारण हुई हानि, दावेदार की अन्य सम्पत्ति से अधिसूचित क्षेत्र में सम्पत्ति के विच्छेद से हुई हानि और अन्य जंगम अथवा स्थावर सम्पत्ति को क्षतिकारक प्रभाव से हुई हानि या दावेदार के उपार्जनों को हुई हानि तथा ऐसी अन्य संगत बातों के आधार पर किया जाएगा जो जांच के दौरान राजस्व अधिकारी को बताई जाए।

(3) अधिकारों अथवा विशेषाधिकारों अथवा दोनों में हस्तक्षेप करने से हुए नुकसान का निर्धारण दावेदार को ऐसे हस्तक्षेप के कारण हुई वास्तविक हानि के संदर्भ में ही किया जाएगा।

9. प्रतिकर का निर्धारण :—(1) यदि किसी जमीन के मूल्य में स्थायीरूप से क्षति हुई हो तो उसके मूल बाजार मूल्य और क्षतिग्रस्त दशा में उसके मूल्य के बीच का अन्तर तथा इस अन्तर का 15 प्रतिशत अंश दावेदार को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा।

(2) समुद्री तोपखाना अभ्यास से हुए नुकसान के लिए प्रतिकर के अलावा, इस अभ्यास के दौरान किसी दावेदार को, उसके द्वारा व्यक्ति, सम्पत्ति, अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करने में उचित रूप से किया गया व्यय अथवा इस सम्बन्ध में राजस्व अधिकारी द्वारा प्राक्कलित उचित व्यय भी अनुज्ञात किए जाएंगे।

(3) किसी स्थान से निष्कासित किए जाने के कारण प्रतिकर उस प्रत्येक दिन के लिए जिस दिन निष्कासन प्रवृत्त किया गया है, उन दरों पर दिया जाएगा जो राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएं और ये दरें—

(क) 12 वर्ष की आयु के किसी मजदूर या मछुआ सेवक की दशा में, ऐसे मजदूर या सेवक द्वारा मामूली तौर से अर्जित दैनिक मजदूरी से कम नहीं होंगी;

परन्तु जब किसी एक दिन निष्कासन चार घंटे से कम अवधि के लिए हो तब प्रतिकर की दर ऐसे मजदूर या सेवक द्वारा मामूली तौर से अर्जित दैनिक मजदूरी के आधे से कम नहीं होगी;

(ख) मछुओं की दशा में मछली पकड़ने में हुई उस हानि से कम नहीं होगी जो प्रति नौका से पकड़ी गई मछलियों के औसत मूल्य के आधार पर प्राक्कलित की जाएं; इस औसत की गणना अच्छे मौसम में मछली पकड़ने की नौका के सामान्य कार्यचालन के आधार पर की जाएगी;

(ग) 12 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति की दशा में, जिसकी परिस्थिति मजदूर या मछुवा-सेवक से श्रेष्ठ है, उपार्जन में हुई उस हानि से कम नहीं होगी जिसका अनुमान राजस्व अधिकारी लगाए।

(घ) बीमार या पंगु व्यक्ति को हटाने के लिए, ऊपर खंड (क) में यथाउपबन्धित उसकी मजदूरी के, यदि कोई हो, अतिरिक्त उसे हटाने की वास्तविक लागत से कम नहीं होगी।

(4) यदि धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन खतरे का क्षेत्र घोषित किसी स्थान से किसी व्यक्ति को स्वयं को, अपनी सम्पत्ति, जलयान या वायुयान को हटाने का निदेश दिया जाता है तो इस हटाने के कार्य के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारी द्वारा लगाए गये अनुमान के अनुसार व्यय का संदाय, हटाने का कार्य पूरा किए जाने के समय से कम से कम 12 घंटे पहले, किया जाएगा।

(5) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन 'खतरे का क्षेत्र' घोषित किसी स्थान से किसी व्यक्ति, सम्पत्ति या जलयान को हटाने के लिए संदेय प्रतिकर की न्यूनतम रकम वह रकम होगी जो व्यक्ति, सम्पत्ति या जलयान को सुरक्षा के निकटतम स्थान तक हटाने के लिए और उनके रहने अथवा भोजन या आवास-स्थान के लिए किसी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए, उस अवधि के दौरान, जिसके लिए हटाया जाना प्रवृत्त किया जाना है, चालू स्थानीय दरों पर खर्च की जानी अपेक्षित हो।

(6) इन नियमों के अधीन जारी अनुदेशों या चेतावनी का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति, सम्पत्ति या जलयान को हुई किसी क्षति के लिए कोई प्रतिकर नहीं दिया जाएगा।

10. प्रतिकर के दावे :—(1) धारा 5 के अधीन प्रतिकर का दावा करने वाला व्यक्ति जिले के कलक्टर द्वारा इस निमित्त प्रतिनियुक्त राजस्व अधिकारी के समक्ष स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा अपना दावा उत्पन्न होने की तारीख से चौदह दिन के भीतर पेश होगा और दावे की प्रकृति मांगे गए प्रतिकर की रकम और उसके प्रति अपने हक के बारे में कथन करेगा।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित कथन लिखित रूप में दिया जाएगा और उस पर दावेदार या उसका अभिकर्ता हस्ताक्षर करेगा।

11. प्रतिकर मंजूर करने की प्रक्रिया :—(1) इस प्रकार प्रतिनियुक्त राजस्व अधिकारी, समुद्री तोपखाना अभ्यास की समाप्ति के तुरन्त बाद, सप्ताह का/के कोई विनिर्दिष्ट दिन और दावों की जांच का स्थान नियत करेगा और उसकी अधिसूचना प्रत्येक गांव में ढोल पीटकर और समुचित रीति से सूचना का प्रकाशन करके देगा।

(2) नियत दिन या दिनों को राजस्व अधिकारी, समय से प्राप्त सभी दावों की जांच करेगा और प्रत्येक मामले में दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम निर्धारित करेगा।

(3)(क) दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम नियत करने में राजस्व अधिकारी उस क्षेत्र के उन दो नगर पार्षदों या पंचों या निवासियों की सहायता लेगा जो नियत 5 और 7 के अन्तर्गत उसके निरीक्षण में उसके साथ गए थे और वे असेसर के रूप में कार्य करेंगे।

(ख) प्रत्येक मामले में उठाए गए मुद्दों पर उक्त असेसरों द्वारा व्यक्त राय को राजस्व अधिकारी अभिलिखित करेगा और उन पर विचार करेगा परन्तु वह उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(4) यदि कोई असेसर के रूप में चुने गये व्यक्तियों में से उपलब्ध नहीं है या वह दावेदार है, या दावे में व्यक्तिगत रूप से रुचि रखता है या काम करने का इच्छुक नहीं है तो, उस दावे पर कार्यवाही करने के लिए राजस्व अधिकारी उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति लेगा।

(5) (क) राजस्व अधिकारी जांच से संगत मामलों पर दावेदार और यदि उसने कोई साक्ष्य पेश किया हो तो उसकी सुनवाई करेगा और दावेदार द्वारा दाखिल किया गया बयान प्राप्त करेगा, परन्तु दावेदारों या उनके गवाहों के बयान अभिलिखित करना उसके लिए आवश्यक नहीं होगा।

(ख) राजस्व अधिकारी द्वारा की गई जांच संक्षिप्त किस्म की जांच होगी।

(ग) राजस्व अधिकारी जांच अविलम्ब करेगा परन्तु वह जब आवश्यक समझे तब जांच स्थगित कर सकेगा।

12. दावों के अभिलेख—राजस्व अधिकारी सभी दावों को एक रजिस्टर में दर्ज करेगा और रजिस्टर में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे :—

(क) दावे की संख्या और तारीख।

(ख) गांव का नाम।

(ग) दावेदार, उसके माता-पिता का नाम और पता।

(घ) दावे का स्वरूप और वह तारीख जब दावा उत्पन्न हुआ।

(ङ) दावाकृत प्रतिकर की रकम तथा दावे के लिए अभिकथित ब्यौरे।

(च) मंजूर किया गया प्रतिकर तथा संक्षेप में विनिश्चय के कारण।

(छ) विनिश्चय की सूचना की प्राप्ति स्वरूप पक्षकार के हस्ताक्षर।

(ज) यदि पक्षकार पंचाट को स्वीकार नहीं करता तो वह तारीख, जिसको अपील करने के आशय की सूचना दी गई थी।

(झ) दिए गए प्रतिकर की प्राप्ति स्वरूप पक्षकार के हस्ताक्षर।

(ञ) टिप्पणियां।

13. राजस्व अधिकारी का विनिश्चय—राजस्व अधिकारी के विनिश्चय में, प्रस्तुत किए गये साक्ष्य और उन कारणों का संक्षेप में उल्लेख किया जाएगा जिनके आधार पर राजस्व अधिकारी ने प्रतिकर की रकम अवधारित की है।

(2) उक्त निर्णय की प्रति और राजस्व अधिकारी द्वारा अभिलिखित निरीक्षण की किसी भी टिप्पणी की प्रति दावेदार को, उसके द्वारा इस सम्बन्ध में आवेदन किए जाने पर, निःशुल्क दी जाएगी।

(3) चूंकि कलक्टर अन्तिम अपील प्राधिकारी है इस लिए प्रतिकर के किसी भी दावे का विनिश्चय करने में राजस्व अधिकारी उससे परामर्श नहीं लेगा।

14. प्रतिकर का संदाय :—(1) राजस्व अधिकारी दावेदार को प्रतिकर की उस रकम का, यदि कोई हो, मौके पर भुगतान कर देगा जिसे उसने संदेय अवधारित किया है।

(2) यदि दावेदार दिए गए प्रतिकर को प्राप्त करने से इन्कार कर देता है या यदि उसके कोई प्रतिद्वंदी दावेदार हैं, तो, राजस्व अधिकारी इस धन को निकटस्थ राजकोष में राजस्व खाते में जमा करने के निदेश देगा।

15. राजस्व अधिकारी के विनिश्चयों के विरुद्ध अपील :—(1) कोई भी दावेदार, जो प्रतिकर देने से इनकार किए जाने से या राजस्व अधिकारी द्वारा उसे दिए गए प्रतिकर की रकम से असंतुष्ट है, राजस्व अधिकारी के विनिश्चय की सूचना प्राप्त होने के एक महीने के भीतर किसी भी समय इस विनिश्चय के विरुद्ध कलक्टर को लिखित रूप में अपील कर सकता है।

(2) यह अपील एक ज्ञापन के रूप में होगी जिसमें—अपील के आधारों और दावाकृत राहत की रकम का उल्लेख होगा और जिस अपील के सम्बन्ध में उक्त अवधि के भीतर ज्ञापन दाखिल नहीं किया गया है उसे संक्षिप्ततः अस्वीकृत करने के लिए कलक्टर सक्षम होगा।

(3) अपील प्राप्त होने पर, कलक्टर नियम 12 में निर्दिष्ट रजिस्टर की उस दावे से सम्बन्धित सभी प्रविष्टियों के उद्धरण और उससे सम्बन्धित अन्य सभी कागज, यदि कोई हों, भेजने के लिए राजस्व अधिकारी से कहेगा।

16. अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया :—(1) अपील प्राप्त होने पर, कलक्टर अपील की सुनवाई के समय और स्थान की सूचना अपीलकर्ता को देगा।

(2) यदि राजस्व अधिकारी के समक्ष दिए गये पते पर या अपील में उल्लिखित पते पर दावेदार का पता नहीं लग सकता तो सुनवाई की सूचना उसके साथ रहने वाले परिवार के किसी वयस्क व्यक्ति को तामील की जा सकती है और ऐसा न हो सकने पर उसे उक्त पते में निर्दिष्ट भवन के किसी प्रमुख भाग पर चिपकाया जा सकता है।

(3) अपील की सुनवाई में अपील दायर किए जाने की तारीख से दो सप्ताह से अधिक का विलम्ब नहीं होना चाहिए, सिवाय इसके कि अपील में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से कलक्टर जितने समय के लिए आवश्यक समझे अपील की सुनवाई की तारीख स्थगित कर सकता है।

(4) कलक्टर सभी अपीलों का निपटान यथासंभव उनकी सुनवाई की तारीखों को ही या उसके बाद यथासंभव शीघ्र कर देगा।

(5) किसी विनिश्चय पर पहुंचने पर उसमें उसके कारणों के संक्षिप्त ज्ञापन से अधिक बातें अभिलिखित करना कलक्टर के लिए आवश्यक नहीं होगा।

(6) यदि दावेदार अनुपस्थित हो तो कलक्टर द्वारा एकतरफ़ा विनिश्चय दिया जा सकता है।

(7) यदि कलक्टर किसी दावेदार को प्रतिकर की ऊंची रकम मंजूर करता है तो जिस तारीख को अपील का विनिश्चय किया गया है उससे सात दिन के भीतर दावेदार को अतिरिक्त रकम का भुगतान कर दिया जाएगा।

(8) जिन मामलों में अपीलकर्ता ने आरम्भ में रकम लेने से इनकार कर दिया था और उसे राजकोष में जमा कर दिया गया था उनमें कलक्टर समुचित खजानची को वापसी आदेश जारी करके अपीलकर्ता को प्रतिकर का भुगतान यथासंभव शीघ्र करने की व्यवस्था करेगा।

(9) यदि प्रतिकर की रकम या उसके किसी अंश को पाने का हकदार व्यक्ति अवयस्क है या विकृत मस्तिष्क है या क्षतिग्रस्त भूमि या सम्पत्ति में उसका केवल सीमित हित है तो, कलक्टर प्रतिकर के संदाय के बारे में ऐसे आदेश पारित करेगा जो उसे उचित लगें।

पी० के० दत्ता, उप सचिव

Seaward Artillery practice Rules, 1978

S.R.O. 26.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Seaward Artillery Practice Act, 1949 (8 of 1949), and in supersession of all the previous rules on the subject, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title, commencement, extent and application.—(1) These rules may be called the Seaward Artillery Practice Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the Twenty-first day of January, 1978.

(3) They shall extend to all the States which have a sea coast, and apply also to, and to persons on, any vessel which is registered in India or which belongs to any person domiciled in India, wherever it may be.

2. Definitions .—In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Seaward Artillery Practice Act, 1949 (8 of 1949);

(b) "aircraft" means any machine which can drive support in the atmosphere from reactions of the air other than reactions of the air against the earth's surface, and includes balloons whether fixed or free, airships, kites, gliders and flying machines;

(c) "danger zone" means any area declared to be a danger zone under sub-section (2) of section 4;

(d) "evacuation" means removal from a danger zone of persons, property or vessels;

(e) "section" means a section of the Act.

3. Manner of publication of substance of a notification issued under section 3.—After the publication of a notification under sub-section (1) of section 3 in the Official Gazette, the substance shall be published, as soon as may be, in addition to its publication in some newspaper circulating in, and in the language commonly understood in, the area specified in the said notification, also in one or more of the following manners, namely :—

(a) by proclaiming by beat of drum or by means of loud speakers, the contents of such substance in the residential part of such area,

(b) by affixing copies of such substance in the regional language at some conspicuous places in such area;

(c) by serving copies of such substance, where possible, to such non-official bodies or associations in the said area as Collector of the district in which it is situate may deem fit;

(d) in such other manner as the Collector of the district in which such area is situate may deem necessary.

4. Intimation of the locality of operations.—(1) The Officer Commanding the naval forces engaged in the seaward artillery practice shall intimate in writing the Collector of the district or the Revenue Officer deputed by him in this behalf, at least fourteen days in advance, about the exact locality where the seaward artillery practice is to be carried out and shall also at the same time intimate the nearest port authority concerned so that necessary notice to the mariners may be issued to warn ships, vessels and aircrafts proceeding towards the area of the coast where the seaward artillery practice is to be carried out.

(2) The locality where such practice is to be carried out shall also be indicated wherever possible, by means of prominent marks such as red flags, marker buoys or the like.

5. Inspection of the notified area.—(1) The Collector of the district or the Revenue Officer deputed by him in this behalf shall, on receipt of the intimation referred to in rule 4, immediately inspect the portion of the notified area covered by land.

(2) The Collector of the district or the said Revenue Officer shall on such an inspection be accompanied by two municipal councillors or panchas or residents of the notified area and a person, if so nominated by the naval authorities, and prepare a record of the condition of the land and the alterations that are likely to be made on it for the purpose of the said operations.

(3) The Collector of the district or the said Revenue Officer shall, as far as possible, secure the presence of the owner or occupier of the said land and include in the record the gist of the latter's representations, if any.

6. Regulating the use of the notified area to secure the public against danger.—(1) The Collector of the district or the Revenue Officer deputed by him in this behalf shall inform the inhabitants of the notified area, at least three days in advance, by beat of drum and publication of notice in appropriate manner in each village, of the time of commencement, the exact locality where the operations will be carried on and the duration of operations and warm them,—

(a) not to enter or remain in any such area without due authority;

(b) not to enter or remain without due authority in any area declared to be a danger zone at a time when entry is prohibited; and

(c) not to interfere without due authority with any flag or mark or target or buoys or any apparatus used for the purpose of the seaward artillery practice.

(2) (a) When any area is declared to be a danger zone under sub-section (2) of section 4, the Collector of the district or the Revenue Officer deputed by him in this behalf shall cause to be put up prominent danger signals on all sides of the danger zone wherever possible with the written warning in the language of the area prohibiting entry into such area during the times when the discharge of the lethal missilless is taking place or there is danger to life or property.

(b) The said Collector of the district or the Revenue Officer shall also post sentries from the nearby area, as far as possible, round the danger zone during the times when the discharge of the lethal missiles is taking place or there is danger to life or property.

(c) The naval authorities shall render such assistance as if feasible and is requested by the said Collector of the district or the Revenue Officer in displaying of the said notices and posting of sentries.

(d) The said Collector of the district or the Revenue Officer shall notify in the manner specified in sub-rule (1) that the enry into the danger zone is prohibited and that all persons, property, vessels and aircraft shall be removed from such danger zone during the times when the discharge of lethal missiles is taking place or there is danger to life or property after payment of compensation in accordance with the provisions of section 5.

(3) The Collector of the district or the Revenue Officer deputed by him in this behalf shall take steps before any evacuation takes place, for the closing and sealing of the houses, public building and other places and also removal of such property, vessels and aircraft in the danger zone, as he deems fit, in the presence of the owner thereof and in the absence of the owner in the presence of two municipal councillors or panchas or residents of the locality and a person if so nominated by the naval authorities.

7. Intimation of conclusion of seaward artillery practice and inspection of areas.—The Officer Commanding of the naval forces shall notify the fact of the conclusion of the seaward artillery practice to the Collector of the district or the Revenue Officer deputed by him in this behalf who shall inspect the lands, with the two municipal councillors or panchas or residents and a person if so nominated by the naval authorities who accompanied him in the first inspection under rule 5 or if the same persons cannot be secured due to death, ill-health or any other reason, with two other municipal councillors or panchas or residents and a person if so nominated by the naval authorities and record his remarks as to the extent to which each land has not been restored to its previous condition and has suffered damage.

8. Assessment of damage.—(1) damage to person shall be assessed with reference to the age and status of the person injured, the nature and duration of the injury caused, his earning capacity, the extent to which his earning capacity has been diminished and the period during which such diminution of his earning capacity is likely to continue and the special circumstances of the injured and his dependents that are brought to notice during the inquiry.

(2) Damage to property shall be determined with reference to the prevailing market value of the property, the loss sustained by the removal of any standing crops or trees or buildings or other structures thereon, the loss sustained by the deprivation of the use of the property during the period of the seaward artillery practice, the loss caused by the severance of the property in the notified area from the other property of the claimant and the loss caused by injurious affection to other property movable or immovable or the earnings of the claimant and such other relevant considerations as may be disclosed during the Revenue Officer's inquiry.

(3) Damage for interference with the rights or privileges or both shall be assessed solely with reference to the material loss sustained by the claimant, by uch interference.

9. Assessment of compensation.—(1) If a land is permanently impaired in value, the difference between the original market value and the value in its impaired state plus 15 per cent of such difference shall be paid to the claimant as compensation.

(2) Besides compensation for the damage arising from seaward artillery practice, expenses reasonably incurred or as

estimated by the Revenue Officer to have been reasonably incurred in protecting the person, property, rights and privileges of a claimant during the time of such practice shall also be allowed.

(3) Compensation on account of evacuation from any place shall be paid in respect of each day on which the evacuation is enforced at such rates as may be fixed by the Revenue Officer which shall not be less than,—

(a) in the case of a labourer or a fisherman servant of 12 years of age, the wages per day ordinarily earned by such labourer or servant :

Provided that when on any one day the evacuation is for a period of less than four hours, the rate of compensation shall not be less than half the wages per day ordinarily earned by such labourer or servant ;

(b) in the case of fishermen the loss of fishing estimated on the basis of the value of the average catch per fishing boat, such average being calculated on the basis of a normal working of a fishing boat during fair season ;

(c) in the case of any other person over 12 years of age, superior in status to a labourer or a fisherman servant, such loss of earnings as the Revenue Officer estimates to have been incurred by him ;

(d) for the removal of a sick or invalid person, the actual cost of removal in addition to his wages, if any, as provided for in clause (a) above.

(4) If a person is directed to remove himself, his property, vessel or aircraft from any place declared to be a danger zone under sub-section (2) of section 4, the expenses of such removal as estimated by the Revenue Officer shall be paid at least 12 hours in advance of the hour before which the removal has to be completed.

(5) The minimum amount of compensation payable for the removal of a person, property or vessel from any place declared to be a danger zone under sub-section (2) of section 4 shall be the amount required for the removal to the nearest place of safety and for meeting any extra cost of living or feeding charge or accommodation of the person, property or vessel at current local rates that would have to be incurred during the period for which the removal is enforced.

(6) No compensation shall be awarded for any damage caused to any person, property or vessel by the infringement of the warning or instructions, issued under these rules.

10. Claims for compensation .—(1) Any person who claims compensation under section 5, shall appear in person or by an agent before the Revenue Officer deputed by the Collector of the district in this behalf within fourteen days from the date on which his claim arose and state the nature of the claim, the amount of compensation he demands and his titles thereto.

(2) The statement referred to in sub-rule (1) shall be made in or reduced in writing and signed by the claimant or his agent.

11. Procedure for granting compensation .—(1) The Revenue Officer so deputed shall fix a specified day or days of the week soon after the seaward artillery practice has concluded and a place for inquiry into the claims and notify the same by beat of drum and publication of notice in appropriate manner in each village.

(2) On the appointed day or days, the Revenue Officer shall inquire into all the claims received in time and determine the amount of compensation to be awarded in each case.

(3) (a) In deciding the amount of compensation to be awarded, the Revenue Officer shall take the assistance of the two municipal councillors or panchas or residents of the locality who accompanied him in his inspections under rules 5 and 7 and those shall act as assessors.

(b) The Revenue Officer shall record and take into consideration the opinions expressed by the said assessors on the point at issue in each case, but he shall not be bound to accept them.

(4) If any of the persons selected as an assessor, is not available, or is a claimant, or is personally interested in the claim or is unwilling to act, the Revenue Officer shall have another person in his place for dealing with that claim.

(5) (a) The Revenue Officer shall hear the claimant and the evidence if any produced before him on matters relevant to the inquiry and receive any written statement filed by the claimant, but he need not record the evidence of the claimants or his witnesses.

(b) The inquiry conducted by the Revenue Officer shall be of a summary nature.

(c) The Revenue Officer shall conduct the inquiry expeditiously but may adjourn it as he may deem necessary.

12. Records of claims .—The Revenue Officer shall enter all the claims in a register which shall contain the following particulars :—

(a) Number and date of the claim.

(b) Name of the village.

(c) Name of the claimant, parentage and address.

(d) Nature of the claim and date on which the claim arose.

(e) Compensation claimed with data alleged for the claim.

(f) Compensation awarded with brief reasons for the decision.

(g) Signature of the party in acknowledgement of the communication of the decision.

(h) If the party does not accept award, date of intimation of the notice of intention to appeal.

(i) Signature of party in token of receipt of the compensation awarded.

(j) Remarks.

13. Decision of the Revenue Officer .—(1) The decision of the Revenue Officer shall contain a gist of the evidence adduced and the reasons which have weighed with the Revenue Officer in determining the amount of compensation.

(2) The claimant, on an application made in this behalf, shall be supplied free of charge with a copy of the said decision and of any notes of inspection recorded by the Revenue Officer.

(3) As the Collector is the final appellate authority the Revenue Officer shall not consult him in arriving at decision on any claim for compensation.

14. Payment of compensation.—(1) The Revenue Officer shall disburse on the spot to the claimant compensation, if any, determined by him as payable.

(2) If a claimant refuses to receive the money awarded or if there are rival claimants to it, the Revenue Officer shall direct it to be deposited in the nearest treasury in revenue deposit.

15. Appeals against the decisions of the Revenue Officer .—(1) Any claimant dissatisfied with the refusal of the Revenue Officer to award him any compensation or with the amount of compensation awarded to him by the Revenue Officer, may, at any time, within one month of the communication to him of the decision of the Revenue Officer, prefer an appeal in writing to the Collector against the decision.

(2) Such an appeal shall be in the form of a memorandum stating the grounds of the appeal and the relief claimed and the Collector shall be competent to reject summarily any appeals in respect of which a memorandum has not been filed within the said period.

(3) On receipt of the appeal, the Collector shall call upon the Revenue Officer to forward an extract of all the entries in the register referred to in rule 12 relating to the claim and all other papers if any in respect of the same.

16. Procedure for hearing appeals .—(1) On receipt of an appeal, the Collector shall notify the appellant the time and place of hearing of the appeal.

(2) If the claimant cannot be found at the address given by him before the Revenue Officer or at the address mentioned in the appeal, the notice of hearing may be served on any adult member of the family residing with him or failing that, be affixed at a prominent part of the building specified in that address.

(3) The delay in hearing the appeal shall not be longer than two weeks from the date of filing of the appeal, except that for reasons to be recorded in the appeal the Collector may postpone the date of hearing for so long as may be necessary.

(4) The Collector shall, as far as possible, dispose of all appeals on the dates on which they are heard or as soon as may be thereafter.

(5) It shall not be necessary for the Collector to record more than a brief memorandum of the reasons when coming to a decision.

(6) If the claimant is absent, an ex-parte decision may be given by the Collector.

(7) If the Collector awards higher amount of compensation to any claimant, the additional compensation shall be paid to the claimant within seven days of the date on which the appeal is decided.

(8) The Collector shall arrange for the disbursement of the compensation to the appellant, as early as possible, by the issue of a refund order to the appropriate treasury in cases in which the amount was originally refused by the appellant and deposited in the treasury.

(9) If the person who is entitled to receive the compensation or any portion thereof is a minor or is of unsound mind or has only a limited interest in the land or other property which has suffered damage, the Collector shall pass such orders as may appear to him to be appropriate as to the payment of compensation.

P. K. BRAHMA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1978

का० नि० आ० 27.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, सिकन्दराबाद की सदस्यता में मेजर एल०एस० पप्पू, जिनकी कार्यकाल की अवधि समाप्त हो जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है।

[फाइल सं० 19/39/सी/एल एण्ड सी/65/126-सी/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

New Delhi, the 12th January, 1978

S.R.O. 27.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Secunderabad by reason of expiry of the term of office of Major L. S. Pappu.

[File No. 19/39/C/L&C/65/126-C/D(Q&C)]

का० नि० आ० 28.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि ले०क०एस०बी० गंगोली को आफिसर कमाण्डिंग स्टेशन द्वारा मेजर एल०एस० पप्पू की, जिनकी कार्यकाल की अवधि समाप्त हो गई है, स्थान पर छावनी बोर्ड, सिकन्दराबाद के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है।

[फाइल संख्या 19/39/सी/एल एण्ड सी/65/सी/126-सी-1/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 28.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col. S. B. Gangoly has been nominated by the Officer Commanding the Station, as a member of Cantonment Board, Secunderabad vice Major L S. Pappu whose term of office has expired.

[File No. 19/39/C/L&C/65/126-C-1/D(Q&C)]

का० नि० आ० 29.—केन्द्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 34 की उपधारा (2क) और धारा 13 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छावनी बोर्ड सिकन्दराबाद छावनी के नाम निर्दिष्ट सदस्य मेजर जी०एस० सिधु को हटाती है और बोर्ड की सदस्यता में उक्त रिक्ति को अधिसूचित करती है।

[फाइल सं० 19/39/सी/एल एण्ड सी/65/126-सी-2/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 29.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 34 and sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby removes Major G. S. Sidhu, a nominated member from the Cantonment Board, Secunderabad Cantonment, and further notifies the said vacancy in the membership thereof.

[File No. 19/39/C/L&C/65/126-C-2/D(Q&C)]

का० नि० आ० 30.—केन्द्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए अधिसूचित करती है कि स्टेशन समादेशक अधिकारी ने मेजर के०वाई० एस० चौहान को मेजर जी०एस० सिधु के स्थान पर जिन्हें हटा दिया गया है, छावनी बोर्ड सिकन्दराबाद के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया है।

[फाइल सं० 19/39/सी/एल एण्ड सी/65/126-सी-3/डी (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 30. In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Major KYS Chauhan has been nominated by the Officer Commanding the Station, as a member of the Cantonment Board, Secunderabad Cantonment vice Major G. S. Sidhu since removed.

[File No. 19/39/C/L&C/65/126-C-3/D(Q&C)]

का० नि० आ० 31.—केन्द्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 34 की उपधारा (2क) और धारा 13 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छावनी बोर्ड सिकन्दराबाद छावनी के नामनिर्दिष्ट सदस्य स्क्वैड्रन लीडर के० ट्रेसलर को हटाती है और बोर्ड की सदस्यता में उक्त रिक्ति को अधिसूचित करती है।

[फाइल सं० 19/39/सी/एल एण्ड सी/65/126-सी-4/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 31.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 34 and sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby removes Sq. Ldr. K. Tressler, a nominated member from the Cantonment Board, Secunderabad Cantonment, and further notifies the said vacancy in the membership thereof.

[File No. 19/39/C/L&C/65/126-C-4 D(Q&C)]

का० नि० आ० 32.—केन्द्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए अधिसूचित करती है कि स्टेशन समादेशक अधिकारी ने स्क्वैड्रन सी०

के०एस० सरमा को स्क्वैड्रन लीडर के० ट्रेसलर के स्थान पर जिन्हें हटा दिया गया है, छावनी बोर्ड सिकन्दराबाद के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है।

[फाइल स० 19/39/सी/एल एण्ड सी/65/126-सी-5/डी (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 32.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Sqn. Ldr. K. S. Sarma has been nominated by the Officer Commanding the Station, as a member of the Cantonment Board, Secunderabad Cantonment vice Sqn. Ldr. K. Tressler since removed.

[File No. 19/39/C/L&C/65/126-C-5/D(Q&C)]

का०नि०आ० 33.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, पूना की सदस्यता में मेजर वी०सी० खरे के त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है।

[फाइल स० 19/11/सी/एल एण्ड सी/65/133-सी/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 33.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Pune by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Major V. C. Khare.

[File No. 19/11/C/L&C/65/133-C/D(Q&C)]

का०नि०आ० 34.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि ले०के० एस०वी०एस० चौधरी को आफिसर कमाण्डिंग स्टेशन द्वारा मेजर वी०एस० खरे के, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड, पूना के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है।

[फाइल सं० 19/11/सी/एल एण्ड सी/65/सी/133-सी-1/डी (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 34.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col. S. V. S. Chowdhry has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board, Pune vice Major V. C. Khare who has resigned.

[File No. 19/11/C/L&C/65/133-C-1/D(Q&C)]

का०नि०आ० 35.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, पूना की सदस्यता में ले० कर्नल राज कुमार सिंह की कार्यकाल की अवधि समाप्त हो जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है।

[फाइल सं० 19/11/सी/एल एण्ड सी/65/133-सी-1/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 35.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Pune, by reason of expiry of the term of office of Lt. Col. Rajkumar Singh.

[File No. 19/11/C/L&C/65/133-C-2/D(Q&C)]

का०नि० आ० 36.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि ले०कर्नल जी०एल० गजू को आफिसर कमाण्डिंग स्टेशन द्वारा ले० कर्नल राजकुमार सिंह के, जिनकी कार्यकाल की अवधि समाप्त हो गई है, स्थान पर छावनी बोर्ड, पूना के सदस्य के रूप मे नामनिर्दिष्ट किया गया है।

[फाइल स० 19/11/सी/एल एण्ड सी/65/133-सी-3/डी (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 36. In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col. G. L. Ganjoo has been nomniated by the Officer Commanding the Station, as a member of Cantonment Board, Pune vice Lt. Col. Rajkumar Singh, whose term of office has expired.

[File No. 19/11/C/L&C/65/133-C-2/D(Q&C)]

का०नि०आ० 37.—केन्द्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 34 की उपधारा 2(क) और धारा 13 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छावनी बोर्ड पूना छावनी के नामनिर्दिष्ट सदस्य ले० कर्नल एच० एस० ठाकुर को हटाती है और बोर्ड की सदस्यता मे उक्त रिक्ति को अधिसूचित करती है।

[फाइल सं० 19/11/सी/एल एण्ड सी/65/133-सी-4/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 37.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 34 and sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby removes Lt. Col. H. S. Thakkur, a nominated member from the Cantonment Board, Pune Cantonment, and further notifies the said vacancy in the membership thereof.

[File No. 19/11/C/L&C/65/133-C-4 D(Q&C)]

का०नि०आ० 38.—केन्द्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए अधिसूचित करती है कि स्टेशन समादेशक अधिकारी ने ले० कर्नल विनोद अग्रवाल को ले० कर्नल एच० एस० ठाकुर के स्थान पर जिन्हें हटा दिया गया है, छावनी बोर्ड पूना के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है।

[फाइल सं० 19/11/सी/एल एण्ड सी/65/133-सी-5/डी) (क्यू एण्ड सी०)]

S.R.O. 38.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col. Vinod Agrawal has been nominated by the Officer Commanding the Station, as a member of the Cantonment Board, Pune Cantonment vice Lt. Col. H. S. Thakkur since removed.

[File No. 19/11/C/L&C/65/133-C-5/D(Q&C)]

का०नि०आ० 39.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, आगरा के निम्नलिखित व्यक्ति उनके सामने वार्डों के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए है :—

1. श्री हरी बाबू	वार्ड सं० 1
2. श्री प्रेम प्रकाश	वार्ड सं० 2
3. श्री के०एल० सोलंकी	वार्ड सं० 3
4. श्री सुरेश चन्द	वार्ड सं० 4
5. श्री सुरेन्द्र सिंह	वार्ड सं० 5
6. श्री तारा चन्द अग्रवाल	वार्ड सं० 6
7. श्री द्वारका प्रसाद	वार्ड सं० 7

[फाइल सं० 29/38/सी/एल एण्ड सी/77/137-सी/डी (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 39.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies the election of the following persons to the Cantonment Board Agra from the wards noted against each :—

1.	Shri Hari Baboo	Ward No. I
2.	„ Om Parkash	Ward „ II
3.	„ K. L. Solanki	Ward „ III
4.	„ Suresh Chand	Ward „ IV
5.	„ Surender Singh	Ward „ V
6.	„ Tara Chand Agarwal	Ward „ VI
7.	„ Dwarka Prasad	Ward „ VII

[File No. 29/38/C/L&C/77/137-C/D(Q&C)]

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1978

का०नि०आ० 40.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 11 मार्च 1978 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को अम्बाला छावनी के साधारण निर्वाचन किए जाएंगे।

[फाइल संख्या 29/29/सी/एल एण्ड सी/77/136-सी/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

New Delhi, the 13th January, 1978

S.R.O. 40. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby fixes 11th March, 1978 as the date on which elections in Ambala Cantonment shall be held.

[File No. 29/29/C/L&C/77/136-C/D(Q&C)]

का०नि०आ० 41.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, देहली की सदस्यता में कर्नल एस०एन० सरकार के त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है।

[फाइल सं० 29/13/सी/एल एण्ड सी/76/134-सी/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 41.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Delhi by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Col. S. N. Sarkar.

[File No. 29/13/C/L&C/76/134-C/D(Q&C)]

का०नि०आ० 42.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि कर्नल अमरीक सिंह को आफिसर कमाण्डिंग स्टेशन द्वारा कर्नल एस०एन० सरकार को, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड, देहली के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है।

[फाइल सं० 29/13/सी/एल एण्ड सी/76/सी/134-सी-1/डी (क्यू एण्ड सी०)]

के० पी० भटनागर, अवर सचिव

S.R.O. 42.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Col. Amrik Singh has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board, Delhi vice Col. S. N. Sarkar who has resigned.

[File No. 29/13/C/L&C/76/134-C-1/D(Q&C)]
K. P. BHATNAGAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978